

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3444
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सकों के रिक्त पद

3444. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश भर के जिला अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत और रिक्त पदों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों द्वारा उपचार से मना किए जाने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
- (ग) देवरिया और बलिया जिलों में गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू), डायलिसिस और कैंसर उपचार सुविधाओं की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिला अस्पताल की गुणवत्ता रैंकिंग सार्वजनिक करने का है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी, जिसमें रिक्तियों को भरना भी शामिल है, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है।

देश भर के जिला अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्वीकृत और रिक्त पदों का राज्य-वार विवरण एचडीआई 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

<https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf>

पैनलबद्ध करने की निबंधन और शर्तों के अनुसार, अस्पताल योजना के पात्र लाभार्थियों को उपचार देने से इनकार नहीं कर सकते। पैनलबद्ध अस्पताल द्वारा उपचार से इनकार किए जाने की स्थिति में, लाभार्थी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एबी-पीएमजेएवाई के तहत, लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। प्रत्येक स्तर पर शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण समिति मौजूद है।

लाभार्थी वेब आधारित पोर्टल केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), केंद्रीय और राज्य कॉल सेंटर (14555), ईमेल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएएच) को पत्र आदि सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर, योजना के तहत उपचार प्राप्त करने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, देश भर के जिला अस्पतालों में डायलिसिस केंद्र स्थापित करके और पात्र रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान करके हीमोडायलिसिस सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) शुरू किया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिनांक 30.06.2026 तक की दी गई जानकारी के अनुसार, यह कार्यक्रम वर्तमान में सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 751 जिलों (जिनमें 44 संबद्ध जिले शामिल हैं) में 1,856 हीमोडायलिसिस केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनमें 13,535 हीमोडायलिसिस मशीनें कार्यशील हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में, सभी 75 जिलों में डायलिसिस केंद्र कार्यशील हैं।

राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत, देश भर में 770 जिला एनसीडी क्लिनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 एनसीडी क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर कैंसर परिचर्या की सुलभता

सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश भर में 297 डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश राज्य में, देवरिया और बलिया सहित कुल 67 डीसीसीसी को मंजूरी दी गई है।

भारत सरकार ने जन स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए, भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2022 निर्धारित किए हैं। इन मानकों में सेवाओं, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, निदान, उपकरण, दवाओं आदि के लिए मानदंड शामिल हैं। एनएचएम इन कमियों को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करता है, जिससे इन सुविधाओं के लिए आवश्यक मानकों की पहुंच और पूर्ति सुनिश्चित हो सके। बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएस) भी शुरू किए गए हैं।
